सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या – 477 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

12 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-144/2017 का०- 5710--उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-804/स्था०, दिनांक 20.11.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर Cont. (Cr.) No.- 04/2017 में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि रिट याचिका W.P.(S) No. 2595/2008- निर्मल राणा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में श्री जामनीकांत, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-स्थापना उप समाहर्त्ता, चतरा द्वारा तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से तथ्य विवरणी प्रस्तुत कर तत्कालीन उपायुक्त, चतरा से अनुमोदन कराकर गलत शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। साथ ही, यह भी प्रतिवेदित किया गया कि श्री जामनीकांत द्वारा तृतीय वर्ग में अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के आदेशों/निदेशों के सापेक्ष में गहनतापूर्वक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बिना गहन समीक्षा तथा गलत तथ्यों के आधार पर ही शपथ पत्र दायर किया गया है ।

उपायुक्त, चतरा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर पर श्री जामनीकांत के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप पत्र गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

(i) उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-804/स्था० दिनांक 20.11.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री जामनीकांत, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा द्वारा W.P.(S) No.-2595/2008 निर्मल राणा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में तथ्यों को छिपाकर तथा गलत तरीके से प्रस्तुत कर तत्कालीन, उपायुक्त, चतरा से अनुमोदन कराकर गलत शपथ पत्र माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर किया गया है ।

(ii) श्री जामनीकांत द्वारा तृतीय वर्ग में अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के आदेशों/निदेशों के सापेक्ष गहनतापूर्वक समीक्षा नहीं की गई तथा बिना गहन समीक्षा तथा गलत तथ्यों के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त, चतरा से तथ्य विवरणी अनुमोदन कराकर शपथ पत्र दायर किया गया ।

(iii) गलत शपथ पत्र दायर किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont.(Crl.) No.-04/2017 स्वतः प्रारंभ किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा इनसे कारण पृच्छा की गई। उक्त वाद में दिनांक 25.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित अंतरिम आदेश में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाया गया है ।

(iv) इनका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा यह सरकार सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है ।

श्री जामनीकांत के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-2786 (HRMS), दिनांक 23.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-65, दिनांक 15.03.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य में आरोप सं०-01, 02, एवं 03 को सही प्रतीत होना तथा आरोप सं०-04 को कुछ हद तक सही प्रतीत होना प्रतिवेदित किया गया है ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री जामनीकांत के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 25% की राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-6803 दिनांक 28.08.2019 द्वारा इनसे कारण पृच्छा की गई। उक्त के अनुपालन में श्री जामनीकांत के पत्र दिनांक 28.09.2019 द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

श्री जामनीकांत द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के क्रम में वाद सं0-Cont.(Cr.) No.-04/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसमें संबंधित वाद के विपक्षी नं0-01 श्री जामनीकांत के विरूद्ध अवमानना वाद में अग्रतर कार्रवाई को जरूरी न मानते हुए विपक्षी नं0-2 (उपायुक्त, चतरा) के विरूद्ध भी अवमानना वाद के नोटिस से मुक्त करते हुए उक्त आवमानना वाद को बंद कर दिया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2021 को पारित न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत, Cont.(Cr.) No.-04/2017 के आधार पर श्री जामनीकांत के विरूद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही एवं उसके पश्चात् झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम43(बी0) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 25% की राशि की कटौती 10 वर्षों तक किये जाने संबंधी दंड अधिरोपण के प्रस्ताव को समाप्त किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जामनीकान्त एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 477 – 50